शिकायत पत्र सं 13/13-14

27

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

पत्रांक 746 /मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 26-6-13

प्रेषक,

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
वैशाली।

विषयः– ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त जन शिकायत के परिवाद पत्र के संबंध में जाँच प्रतिवेदन।

संदर्भः– पत्रांक 987 /अभिकरण, हाजीपुर, दिनांक 11.06.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक शिकायत पत्र मो0 शरीफ एवं अन्य ग्राम सामाचक, पो0– हरौली, पंचायत – दौलतपुर चांदी, प्रखण्ड– हाजीपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया था। शिकायत पत्र में मनरेगा योजना के तहत् 5 वर्षो से मजदूरी कर रहे मजदूरों का पैसा नहीं देने के संबंध में था। शिकायत पत्र के संदर्भ में पंचायत रोजगार सेवक ने अपने कारण पृच्छा में बताया कि शिकायतकर्त्ता के किसी योजना में कार्य करने संबंधी विवरणी अंकित नहीं है।हॉलाकि उनका जॉव कार्ड पंजीयन सही है। मगर उसने काम के लिए कभी आवेदन नहीं दिया है।

दूसरी ओर आवेदन पत्र में शिकायतकर्त्ता द्वारा योजना संख्या वित्तीय वर्ष या योजना संबंधी कोई जानकारी नहीं दी गयी है। स्थल निरीक्षण के क्रम में शिकायतकर्त्ता द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में भी कार्य करने संबंधी किसी योजना की कोई जानकारी नहीं दी जा सकी है।

उनके जॉव कार्ड पर कोई कार्य करने की जानकारी अंकित नहीं है। मस्टर रॉल में भी कहीं उनका नाम अंकित नहीं है। शिकायतकर्त्ता द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। पंचायत रोजगार सेवक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन से भी इनकी मजदूरी संबंधी तथ्य नहीं मिल पाई है।

दिनांक 14.06.2013 को मेरे द्वारा उनके ग्राम सामाचक निवास स्थान पर जांच की गयी। मो0 शरीफ के पुत्र मो0 मोइम और अन्य सदस्यों से बातचीत के क्रम में यह जानकारी मिली की वर्ष 2008–09 में उन लोगों ने उनके गाँव से गुजरने वाली तिरहुत बांध में मिट्टी काटने, मिट्टी भरने तथा फूल में पानी पटाने का काम किया था। उनका कहना था कि लालगंज के किसी व्यक्ति के बुलावे पर उनलोगों ने काम किया था उस व्यक्ति ने कहा थ कि सरकारी काम है। पैसा एक बार पूरा मिलेगा, जो आज तक नहीं मिला है।

उक्त संबंध में खोजबीन के बाद यह जानकारी मिली है कि 2008–09 में बाढ़ एवं जल निस्सरण प्रमण्डल, लालगंज द्वारा ठीकेदारी के तहत् तिरहुत बांध के मरम्मत के कार्य किये गये थे, ऐसा संभव है कि उसी योजना में शिकायतकर्त्ताओं ने मिट्टी काटने का मिट्टी भरने का या बांध पर फूल के पौधे लगाने का कार्य किया हो। परन्तु साक्ष्य के अभाव में यह केवल अनुमानित ही है।

अतः मनरेगा योजना के तहत् जॉव कार्ड पर उनकी मजदूरी बाकी है। ऐसा कहीं परिलक्षित नहीं होता है।

अनुलग्नकः – यथोक्त।

विश्वासभाजन

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक 746 /मनरेगा, दिनांक 26-6-13

प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी –सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।